राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–430 / 2013

गोपाल लाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.09.2012 को ग्राम पंचायत माण्डलगढ, भीलवाडा से ग्राम सेवक / पदेन सचिव के पद से सेवानिवृति प्राप्त की। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्ति पश्चात मिलने वाले समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी नियम–16 एवं 17 के विरूद्ध जांच लम्बित नहीं थी। फिर भी अपीलार्थी को सेवानिवृति परिलाभों से वंचित रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति होने के पश्चात अपीलार्थी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–17 के तहत आरोप पत्र वर्ष 2018 में जारी किया गया और अपीलार्थी के सम्बन्ध में जांच कर आदेश दिनांक 17.12.2018 पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन जांच में अपीलार्थी की भर्त्सना करते हुए प्रकरण को समाप्त किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी को बाद में सेवानिवृति लाभ प्रदान किये गये हैं, परंतु अपीलार्थी को अत्यंत विलम्ब से सेवानिवृति लाभ प्रदान किये गये हैं, जिस पर अपीलार्थी नियमानुसार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपील बिना किसी वाद कारण उत्पन्न हुए निरर्थक तथ्यों के आधार पर अनावश्यक लाभ प्राप्ति के प्रयास मे परिसीमा अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत लगभग 1 वर्ष की लम्बी विलम्ब अवधि के बाद विलम्ब अवधि के संबंध में कोई

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना ही और बिना किसी प्रार्थना के माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है, जबकि उक्त अपील में अपीलार्थी स्वंय स्वीकार कर रहा है कि उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा द्वारा दिनांक 02.02.2011 के पत्र के जरिये आरोप पत्र दिनांक 10.09.2010 दिया गया। इससे स्वतः ही प्रमाणित है कि अपीलार्थी को सेवानिवृति से पूर्व ही भली भांति विदित था कि उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/जांच विचाराधीन है। अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति पूर्व न तो आरोप पत्र का संतोषप्रद जबाव प्रस्तुत किया और ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बार–बार बावजूद सूचित किये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए/हो रहे है। उक्त कृत्य अपीलार्थी स्वयं द्वारा जानबूझकर जांच कार्यवाही को लम्बित करने का प्रयास मात्र है। अपीलार्थी को सेवानिवृति पर निर्धारित समयावधि में जीपीएफ, एसआई और उपार्जित अवकाश का भुगतान करते हुए प्रोविजन पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है, जिसको अपीलार्थी आहरित करता आ रहा है। उक्तानुसार उक्त अपील मय कोस्ट से काबिल निरस्त योग्य हैं।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को दो आरोप पत्र दिनांक 31.08.2018 को दिये गये थे एवं अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत जांच प्रस्ताविक की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवानिवृति होने के काफी समय पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध नियम 17 के तहत जांच प्रारम्भ की गयी है। दोनों ही जांचों में अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश दिनांक 17.12.2018 के द्वारा निर्णय किया गया है, जिसमें दोनों ही जांचों में भर्त्सना करते हुए प्रकरण को समाप्त किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 30.09.2012 को होने के करीब छः वर्ष पश्चात आरोप पत्र जारी किये गये हैं। ऐसे में हम पातें है कि अपीलार्थी को देरी से सेवानिवृति परिलाभ दिये जाने में प्रत्यर्थी विभाग की कमी रही है।
4. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियम–89 राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के तहत सेवानिवृति फायदों पर नियमानुसार ब्याज प्रदान किया जाए। इस आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जावें।
5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)